



छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: अमलीडीह पुलिस क्वार्टर सड़क, पुष्पांजलि कॉलोनी स्ट्रीट 2 रायपुर (छ.ग.)

✉ @labour_morcha

✉ cgcrclmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा

(उच्च न्यायालय)

+91 7974822899

यामिनी मैथिल

(जिला न्यायालय)

+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय

जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर

+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी

अध्यक्षगण

हारुन मानिकपुरी

वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे

आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा

गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी

लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू

स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे

कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

+91 9406302000

प्रदेश सचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी

+91 9406252710

क्र. 010

दिनांक 04/08/2026

प्रति,

माननीय द्रौपदी मुर्मू

(राष्ट्रपति)

राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति
भवन, नई दिल्ली-110004

माननीय नरेंद्र मोदी

(प्रधानमंत्री)

प्रधानमंत्री कार्यालय
(PMO), साउथ ब्लॉक,
रायसीना हिल, नई
दिल्ली-110011

माननीय रमन डेका

(राज्यपाल, छत्तीसगढ़)

लोक भवन, सिविल लाइन्स,
रायपुर-492001

माननीय विष्णु देव साय

(मुख्यमंत्री)

सामान्य प्रशासन विभाग
मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला
रायपुर-492002

माननीय ओ. पी. चौधरी

(वित्त मंत्री)

वित्त विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा
रायपुर अटल नगर, जिला
रायपुर-492002

माननीय गजेन्द्र यादव

(विधि एवं विधायी मंत्री),

विधि एवं विधायी कार्य
विभाग, मंत्रालय, महानदी
भवन, नवा रायपुर अटल
नगर, जिला
रायपुर-492002

माननीय राहुल गांधी

कार्यालय, नेता प्रतिपक्ष

(लोकसभा), संसद भवन, नई
दिल्ली-110001

माननीय मल्लिकार्जुन

खड़गे

कार्यालय, नेता प्रतिपक्ष
(राज्यसभा), संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

माननीय चरण दास महंत

नेता प्रतिपक्ष कार्यालय,

छत्तीसगढ़ विधानसभा, नवा
रायपुर अटल नगर, जिला
रायपुर-492101

माननीय डॉ. रमन सिंह

(पूर्व मुख्यमंत्री)

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़
विधानसभा, छत्तीसगढ़
विधानसभा परिसर, नवा
रायपुर अटल नगर, जिला
रायपुर-492101

माननीय भूपेश बघेल

(पूर्व मुख्यमंत्री)

विधायक
कार्यालय, छत्तीसगढ़
विधानसभा, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला
रायपुर-492101

विषय:-

समाधान पत्र छत्तीसगढ़ के 06 लाख अनियमित कर्मियों के हित में



छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: अमलीडीह पुलिस क्वार्टर सड़क, पुष्पांजलि कॉलोनी स्ट्रीट 2 रायपुर (छ.ग.)

✉ @labour_morcha

✉ cgcrclmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा

(उच्च न्यायालय)

+91 7974822899

यामिनी मैथिल

(जिला न्यायालय)

+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय

जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर

+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी

अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी

वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे

आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा

गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी

लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू

स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे

कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

+91 9406302000

प्रदेश सचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी

+91 9406252710

महोदय,

छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है, विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पंजीकृत 23 लाख किसान परिवार से केंद्रीय तय समर्थन मूल्य से अधिक समर्थन मूल्य में धान की खरीद की जा रही है, अन्य फसल उत्पाद केंद्रीय समर्थन मूल्य अंतर्गत खरीद की जा रही है, इसमें भूमिहीन गरीब कृषक मजदूरों के परिवार को किसान सम्मान निधि भी प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश की 66 लाख मातृ शक्ति अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की माताओं बहनों को पोषण योजना के माध्यम से मासिक रु. 1000/- महतारी वंदन राशि प्रति माह प्रदान की जा रही है।

प्रदेश के 18 लाख आवास विहीन गरीब परिवारों को प्रधान मंत्री आवास प्रदान किया जा रहा है/किया जा चुका है।

प्रदेश के 65 लाख परिवारों को मासिक बिल में 50% छूट के साथ बिजली प्रदान की जा रही है।

बहुत से नवाचार हो रहे हैं, नए विकास निर्माण हो रहे हैं, पारदर्शिता के लिए आधार आधारित हाजरी व ई-ऑफिस का कार्य सभी शासकीय विभाग में लागू किया गया है।

महोदय प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 80 लाख के लगभग पहुँच गई है।

मुख्यमंत्री 1076 शिकायत/जन सुराज से भी हम जनता को बहुत लाभ निरंतर हो रहे हैं।

उपरोक्त समस्त सकारात्मक श्रेष्ठ कदमों के बावजूद एक बहुत बड़ा वर्ग जो इन्हीं महतारी वंदन, समर्थन मूल्य से अधिक में धान विक्रय करने वाले कृषक परिवार, भूमिहीन गरीब किसानों, आवासहीन परिवारों, 50% बिजली बिल छूट लेने वाले ST, SC, OBC, GEN वर्ग के छत्तीसगढ़ मूल निवासी परिवारों से आता है उसके 6 लाख अनियमित



छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: अमलीडीह पुलिस क्वार्टर सड़क, पुष्पांजलि कॉलोनी स्ट्रीट 2 रायपुर (छ.ग.)

✉ @labour_morcha

✉ cgcrclmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा

(उच्च न्यायालय)

+91 7974822899

यामिनी मैथिल

(जिला न्यायालय)

+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय

जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर

+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी

अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी

वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे

आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा

गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी

लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू

स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे

कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

+91 9406302000

प्रदेश सचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी

+91 9406252710

कर्मि सदस्यों की पीड़ा पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी कि दृष्टि इस पत्र लेखन दिनांक तक नहीं गई है, हम 6 लाख अनियमित कर्मचारीयों के परिवार में औसत 5 से 10 वयस्क मतदाता सीधे जुड़े हैं (बेहद करीबी रिश्तेदार) जो सदैव हमारा हर सुख दुःख में साथ देते हैं, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से 60 लाख मतदाताओं के (अनियमित कर्मियों से जुड़े) मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार कोई संवदेनशीलता नहीं दिखा रही है, आज तीन वर्ष बीत चुके हैं, अनियमित कमेटी तक हम अनियमित कर्मचारियों के लिए नहीं बनाई गई है (बकायदा घोषणा पत्र के पृष्ठ 28 बिंदु क्रमांक 2 में मोदी गारंटी में लिखित रूप से उल्लेख के बावजूद), अनियमित कमेटी बनती तो हम अनियमित कर्मि जो 30 अलग अलग प्रकार के कर्मि हैं अपने अपने प्रकार अनुसार अपने लिए उचित, सकारात्मक, कानूनी, विधि सम्मत, संवैधानिक, माँग, सुझाव, रख पाते। जिसका शासन के विद्वान जानकार विशेषज्ञ अधिकारी (विधि विधायी, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग) परीक्षण कर सकते थे। निरंतर कमेटी में लिखित पत्र व्यवहार से निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव पूर्व 'हम 30 प्रकार के अनियमित कर्मचारियों और सरकार दोनों को स्पष्ट हो जाता है कि हमारे माँग का उचित समाधान हमारे प्रकार अनुसार क्या हो सकता है' "कोई न कोई मध्य मार्ग" समस्त 30 प्रकार के लिए अलग अलग निकल सकता था।

जैसे हमारे भारत राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी व भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी दोनों राजस्थान, पंजाब प्रांत के आम आदमी पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान जी अर्थात् तीनों राष्ट्रीय दलों द्वारा हम जैसे उनके राज्यों के अनियमित कर्मचारियों को पक्का और स्थाईकरण करने का कार्य किया जा चुका है, यह पक्का और स्थायी योजना केवल पूर्णकालिक आउट सोर्सिंग, ठेका, प्लेसमेंट, दैनिक मासिक श्रम दर श्रमिक बिना नियुक्ति पत्र, सविंदा कर्मचारियों के लिए तीनों राज्यों में लागू किया गया है। यदि इसे 'हम जेन्जी की भाषा में कहे तो मात्र कॉपी पेस्ट इन तीनों राज्य की इस योजना को अपनी सुविधा अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को करना होगा', इन तीनों राज्यों ने अलग अलग जैसे 02, 03, 05, 10 वर्षों से



छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: अमलीडीह पुलिस क्वार्टर सड़क, पुष्पांजलि कॉलोनी स्ट्रीट 2 रायपुर (छ.ग.)

✉ @labour_morcha

✉ cgcrclmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा

(उच्च न्यायालय)

+91 7974822899

यामिनी मैथिल

(जिला न्यायालय)

+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय

जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर

+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी

अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी

वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे

आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा

गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी

लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू

स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे

कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

+91 9406302000

प्रदेश सचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी

+91 9406252710

निरंतर कार्यरत अपने राज्यों के समस्त अनियमित पूर्णकालिक कर्मचारियों का स्थाईकरण अपनी सुविधानुसार किया है।

हम सभी 06 लाख अनियमित कर्मचारी में से छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 2 लाख पूर्णकालिक अनियमित कर्मचारी है।

आप समस्त माननीयों से विनम्र प्रार्थना, निवेदन, आग्रह, विनती इस पत्र माध्यम से यही है कि आगामी 15 अगस्त 2026 को हमारे प्रान्त छत्तीसगढ़, जो भगवान राम का ऐतिहासिक ननिहाल है, में माता कौशल्या के नाम से यही स्थायीकरण योजना लागू करवाने हेतु हमारी यथा उचित सहायता करें।

महोदय 4 नए श्रम कानून जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा चुकी है, जिसका क्रियान्वयन आरंभ हो गया है वह समस्त राज्यों में जल्द से जल्द लागू होने वाला है, उसके पूर्व हमारी करबद्ध प्रार्थना है यह स्थायीकरण छत्तीसगढ़ राज्य में इसी 15 अगस्त 2026 से लागू हो जाये क्योंकि मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब तीनों राज्यों में पुराने श्रम कानून "1948 की धारा 61 व 63 अंतर्गत यह स्थायीकरण उन राज्यों में लागू किया गया है" '4 नए श्रम कानून लागू होने के बाद 1948 का पुराना कानून सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा।' उसके बाद स्थायीकरण हम 02 लाख अनियमित पूर्णकालिक कर्मचारी का कभी संभव नहीं हो पाएगा।

6 लाख में जिन 4 लाख अनियमित कर्मचारियों का स्थाईकरण/पक्का सीधे 1948 के कानून से तत्काल संभव नहीं है, जिसमें 1.25 लाख आंगनबाड़ी सहायिका व कार्यकर्ता, 87 हजार अंशकालीन शासकीय पाठशाला रसोईयों, 45 हजार शासकीय पाठशाला अंशकालीन सफाई कर्मी, 81 हजार मितानिन, वैक्सीन वाहक, अंशकालीन प्रकार के सविदा/आउटसोर्सिंग/कलेक्टर दर/श्रम दर अनियमित कर्मी। इन के वेतन में 4 नए श्रम कानून के पश्चात वर्तमान की तुलना में 50% वेतन वृद्धि लागू होगी, उन्हें ई.एस.आई.सी. की सुविधा मिलेगी जैसा इनसे मोदी गारंटी हमारा वादा पत्र 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखित वादा किया है।

"अपन अधिकार अउ अपन कर्तव्य दुन्नो बर आगू रहवैया संगठन"



छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा

प्रदेश कार्यालय: अमलीडीह पुलिस क्वार्टर सड़क, पुष्पांजलि कॉलोनी स्ट्रीट 2 रायपुर (छ.ग.)

✉ @labour_morcha

✉ cgcrclmorcha@gmail.com

सलाहकार अधिवक्तागण

प्रवेश शर्मा

(उच्च न्यायालय)

+91 7974822899

यामिनी मैथिल

(जिला न्यायालय)

+91 8815119232

प्रदेश संयोजक

श्रीमती गीता यादव

अजय त्रिपाठी

पंकज पाण्डेय

जल संसाधन विभाग

प्रदेश अध्यक्ष

आकाशदीप राठौर

+91 9993518554

प्रदेश कार्यकारी

अध्यक्षगण

हारून मानिकपुरी

वन एवं जलवायु परिवर्तन

खेमचंद साहू

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

रोहित कापरे

आ. जाति कल्याण विभाग

राजेश कुमार सिन्हा

गृह एवं अग्निशमन विभाग

हीरालाल ध्रुव

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

दिपेश भतपहरी

लोक निर्माण विभाग

कुलदीप नामदेव

दिलेश्वर साहू

स्वास्थ्य विभाग

बादल कुमार बंजारे

कोषा लेखा पेंशन

प्रदेश उपाध्यक्ष

श्रीमती दिव्या सिंह

प्रदेश प्रवक्ता

सत्यम शुक्ला

+91 9406302000

प्रदेश सचिव/कार्या. प्रभारी

एच.एस. तिवारी

+91 9406252710

सहपत्र:-

उपरोक्तानुसार।

भवदीय

श्रीमती गीता यादव	अजय त्रिपाठी	पंकज पाण्डेय	आकाशदीप राठौर
हारून मानिकपुरी	खेमचंद साहू	रोहित कापरे	राजेश कुमार सिन्हा
हीरालाल ध्रुव	दिपेश भतपहरी	कुलदीप नामदेव	दिलेश्वर साहू
बादल कुमार बंजारे	श्रीमती दिव्या सिंह	सत्यम शुक्ला	एच.एस. तिवारी

।। माता कौशल्या की जय ।।



आकाशदीप राठौर

प्रदेश अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय अस्थाई आकस्मिक पूर्णकालिक विभागीय दैनिक वैतनिक श्रमायुक्त दर श्रमिक मोर्चा
मो.- 9993518554



दिपेश भतपहरी

प्रदेश अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ लोक निर्माण श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ
मो.- 81038 54054



छत्तीसगढ़ लोक निर्माण श्रमायुक्त श्रमिक, कर्मचारी कल्याण संघ



छत्तीसगढ़ महतारी

दैनिक श्रमिक मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षगण



बादल बंजारे
वित्त विभाग



खेमचंद साहू
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग



राजेश कुमार सिन्हा
अग्निशमन (गृह) विभाग



दिलेश्वर साहू
स्वास्थ्य विभाग



दिपेश भतपहरी
लोक निर्माण विभाग



कुलदीपक नामदेव
जल संसाधन विभाग



हारून दास मानिकपुरी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग



हीरालाल धुव
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग



रोहित कापरे
आदिम जाति कल्याण (छात्रावास) विभाग

हमारा उद्देश्य, मांग

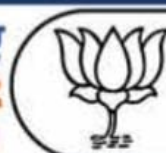
- नियमितीकरण नहीं चाहिए, केवल स्थायीकरण **काल्पनिक वेतन ही** चाहिए (कोर्ट के माध्यम से अथवा सरकार के माध्यम से जिनसे पहले मिल जाए)
- स्थायीकरण पश्चात भविष्य में संविलियन **रिक्त पद, आकस्मिकता निधि कार्यभारित के पद** में चाहिए।
- न्यूनतम 1 वर्ष से कार्यरत 36 हजार **बिना नियुक्ति पत्र वाले** दैनिक श्रमिक (51 विभाग) का स्थायीकरण किया जावे।
- चन्दा बरारी, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, सदस्यता शुल्क **दैनिक श्रमिक मोर्चा** कभी नहीं लेता है, रैली, धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव **हमारा संगठन और मोर्चा** कभी नहीं करता है,
- 4 नए श्रम संहिता लागू होने के बाद न्यूनतम 18k, 20k, 22k, 24k वेतन की मांग, नियुक्ति पत्र प्रदान करने की मांग, श्रम सम्मान व ईएसआईसी प्रदान करने की मांग, सेवा पुस्तिका बनाने की मांग।
- सभी विभागों में रखे कार्यरत दैनिक श्रमिकों का सरकार एक साथ ही स्थायीकरण लागू कर सकती है। **केवल एक विभाग या दो विभाग का स्थायीकरण सामान्य प्रशासन विभाग/सरकार कभी नहीं कर सकती है।**
- 4 नए श्रम कानून संहिता लागू होने के बाद स्थायीकरण सरकार लागू नहीं कर पाएगी **क्योंकि 1948 के स्थायीकरण से संबंधित श्रम कानून सदैव के लिए समाप्त हो जायेंगे।**
- 8 प्रकार के **संविदा**, 8 प्रकार के **कलेक्टर दर** दैनिक वेतन भोगी, 8 प्रकार **श्रम दर** दैनिक मासिक श्रमिक, 2 प्रकार के **आउटसोर्सिंग** कर्मचारी, 2 प्रकार के **प्लेसमेंट** कर्मचारी, 2 प्रकार के **ठेका** कर्मचारी कुल 30 प्रकार में से दैनिक श्रमिक मोर्चा केवल एक प्रकार पूर्ण कालिक **आवश्यकता अनुसार रखें**, श्रमिकों के स्थायीकरण की मांग के लिए संघर्ष कर रहा है।
- मध्यप्रदेश** में 10 वर्ष व 5 वर्ष वाले शिवराज सिंह जी (**भाजपा**) द्वारा स्थायीकरण किये गये, **राजस्थान** में 5 वर्ष व 3 वर्ष वाले अशोक गहलोत जी (**कांग्रेस**) एवं भजन लाल शर्मा जी (**भाजपा**) द्वारा स्थायीकरण किये गये, **पंजाब** में 5 वर्ष व 3 वर्ष वाले भगवंत मान जी (**आम आदमी पार्टी**) द्वारा पक्का/ स्थायीकरण किये गये।
- हम 29 प्रकार के 5 लाख 74 हजार कर्मचारियों के लिए मांग करने की **पात्रता नहीं रखते हैं** ये सभी प्रकार अपने लिए उचित मांग स्वयं करने में सक्षम है।



❖ छत्तीसगढ़ के लिए ❖
मोदी की गारंटी
2023



सशक्त छत्तीसगढ़ के लिए
भाजपा को वोट दें



भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़



01

हम प्रदेश में "सरकार तुंहर दुवार" योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर **1.5 लाख बेरोज़गार युवकों को भर्ती** कर प्रभावी घर पहुँच सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करेंगे।

02

हम सरकार बनने के **100 दिनों के भीतर** छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरम्भ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु एक **कमिटी** का गठन करेंगे जिसमें **अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी** भी सदस्य होंगे।

03

भ्रष्टाचार विरोध जीरो टॉलरेंस नीति -

1. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ **आयोग गठित** करेंगे।
2. भ्रष्टाचार **शिकायत निवारण व निगरानी** रखने के लिए एक **वेब पोर्टल** बनाएंगे।
3. प्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु **मुख्यमंत्री कार्यालय** में एक **सेल का गठन** करेंगे।

04

हम सरकार बनाते ही भ्रष्टाचार और गैर कानूनी रूप से हुई सरकारी भर्तियों की समयबद्ध रूप से जांच करवाकर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई एवं दंड सुनिश्चित करेंगे। साथ ही **भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रणाली** लागू करेंगे।

05

हम प्रदेश के अधिवक्ताओं एवं डॉक्टरों के हित की रक्षा के लिए **अधिवक्ता एवं डॉक्टर सुरक्षा कानून** लाएंगे।

06

हम **पंचायत सचिवों** को **नियमित** करेंगे एवं उनका बकाया एरियर **पी.पी.एफ.** में जोड़ा जाएगा।

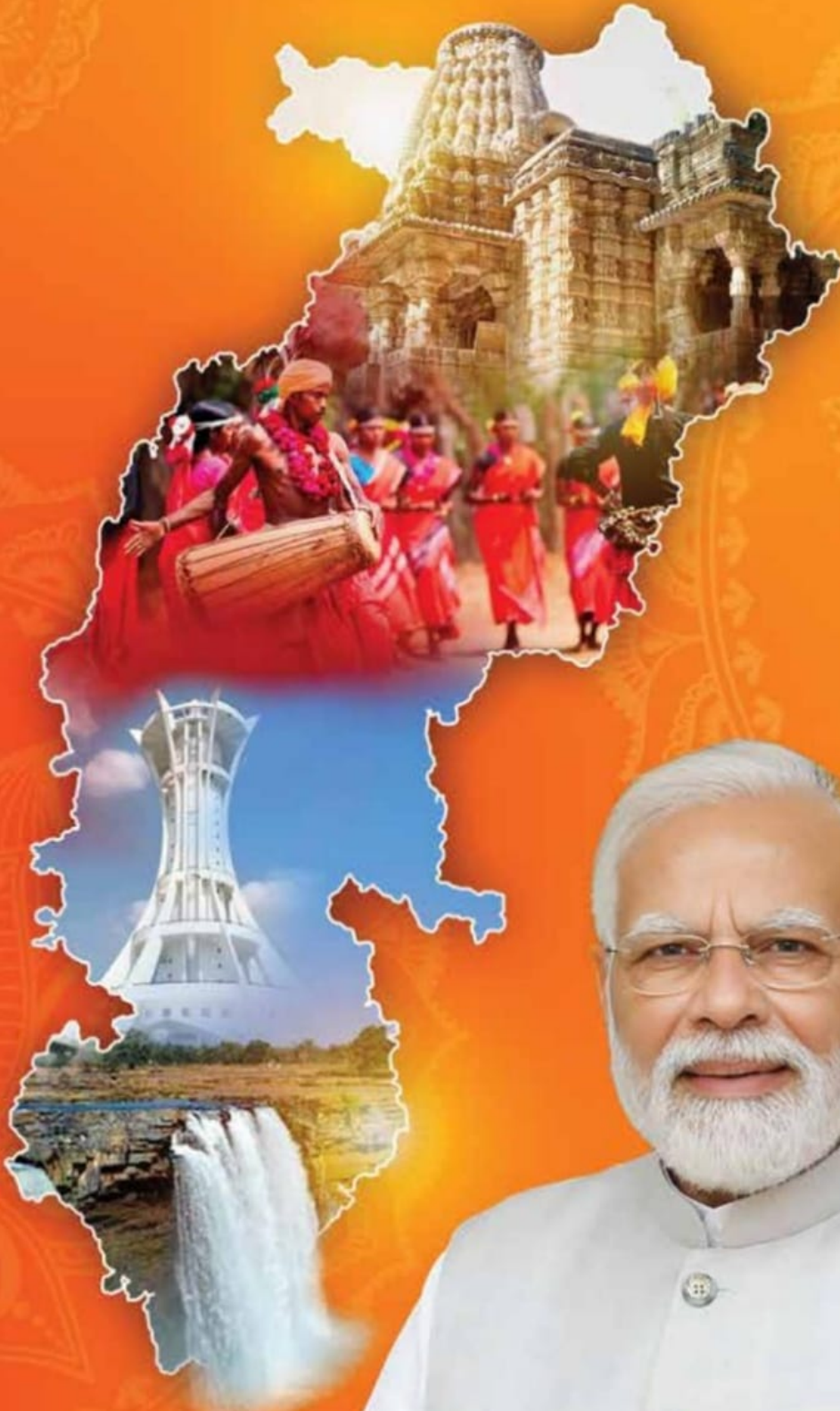
07

हम प्रदेश में शिकायतों के दर्ज किए जाने एवं त्वरित जांच हेतु ADG स्तरीय अफसरों के देख रेख में **ऑनलाइन FIR प्रणाली** शुरू करेंगे एवं **फ़र्ज़ी मुकदमों को समाप्त** कर ऐसे शिकायतकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

08

हम प्रदेश में भूमि सम्बन्धी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए **ज़िला मुख्यालयों में भूमि थाना एवं भूमि न्यायालय की स्थापना** करेंगे एवं किसानों के नामांतरण, फौती, त्रुटी सुधार, नक्शा सुधार, सीमांकन जैसी समस्याओं का **लोक सेवा अधिनियमों के अंतर्गत समयबद्ध निपटारा** किया जाएगा।





भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़

कुशभाऊ ठाकरे परिसर, धमतरी रोड,
बोरियाकला 492015 रायपुर (सी.जी.)

